उत्तर प्रदेश वन निगम

कार्यालय प्रबन्ध निदेशक

अरण्य विकास भवन, 21/475, इन्दिरानगर, लखनऊ 226016

पत्रांक एम– 1542 अग्रिम बिक्री ई–नीलाम/जड़/शर्तें दिनांक 28 मार्च 2018

सेवा में,

विक्रय अधिकारी,
उ0 प्र0 वन निगम,
इटावा।

विषय– वृक्षों के पातन स्थल पर उपलब्ध जड़ो के अग्रिम बिक्री ई–नीलाम के नियम व शर्तें।

सन्दर्भ– आपका पत्रांक 1307/मौके पर जड़ो के ई–नीलाम बिक्री शर्तें,दिनांक 12.03.2018

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के माध्यम से प्रेषित की गई वृक्षों के पातन स्थल पर उपलब्ध जड़ों के अग्रिम बिक्री ई–नीलाम के नियम व शर्तों को प्रबन्ध निदेशक महोदय द्वारा अनुमोदन कर दिया गया है। जिन्हें संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

कृपया तद्नुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय

(अतुल जिन्दल)
महाप्रबन्धक (विपणन)

संख्या एम 1542/ तद्दिनांकित

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0 प्र0 वन निगम।
2. समस्त प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक, उ0 प्र0 वन निगम।
3. विक्रय अधिकारी (सिस्टम), उ0 प्र0 वन निगम, लखनऊ।

संलग्नक–यथोपरि।

(अतुल जिन्दल)
महाप्रबन्धक (विपणन)

वृक्षों के पातन स्थल पर उपलब्ध जडों के अग्रिम बिक्री ई–नीलाम के नियम व शर्तें

1. उ0प्र0 वन निगम की मौके पर (पातन स्थान पर) उपलब्धता के अनुमान के आधार पर अग्रिम बिक्री हेतु जड़ों की लाट बनाकर लाट वार ई–नीलाम समय–समय पर आवश्यकतानुसार सम्पन्न किया जायेगा। इस नीलाम प्रणाली में भाग लेने हेतु सम्बन्धित क्रेता को वन निगम के ई–नीलाम प्रणाली में अपना नाम पंजीकृत करना होगा। पंजीकरण शुल्क रू0 30,000 (रू0 तीस हजार मात्र) होगा। इसके लिये क्रेता वन निगम की वेबसाइट www.upforestcorporation.co.in पर ई–नीलामी प्रक्रिया सम्बन्धी सूचनाओं/नियम शर्तों को देख सकते हैं।

2. अग्रिम बिक्री ई–नीलाम सामान्यतः उच्चतम दर(लाटवार रू0 प्रति घन मीटर स्टैक्ट आयतन) के आधार पर होगा। परन्तु वन निगम, उच्चतम अथवा किसी भी दर को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होगा। निगम को अधिकार होगा कि उच्चतम अथवा किसी भी दर को बिना कारण बताये अस्वीकार कर दे।

3. सफल क्रेता को जड़ों के खुदान पर होने वाले व्यय को स्वयं वहन करना होगा। इस व्यय को ध्यान में रखकर ही क्रेता अग्रिम ई–नीलाम में जड़ों की क्रय दरें प्रति घन मीटर (स्टैक्ट आयतन) से डालें।

4. अनुमोदन सूचना निर्गत होने के बाद दो माह के अन्दर सम्पूर्ण जड़ों की खुदाई एवं निकासी का कार्य पूर्ण कर क्षेत्र को खाली कर समतल करना होगा। यदि उक्त अवधि में पूरी निकासी एवं खाली हुये स्थान को समतल नहीं किया जाता है तो सम्पूर्ण शेष बची जडें एवं धनराशि पर उ0प्र0 वन निगम का स्वामित्व होगा।

5. क्रेता को अपना पूरा नाम, फर्म का नाम व पता (पोस्टल ऐड्रेस) टेलीफोन नम्बर, मोबाइल न0, ई–मेल आईडी का स्पष्ट विवरण ई–नीलामी पंजीकरण/प्रक्रिया के समय उपलब्ध कराना होगा। उपलब्ध कराये गये पते पर भेजे गये पत्र क्रेता को प्राप्त समझे जायेंगें।

6. अग्रिम बिक्री ई–नीलाम की विक्रय सूची में उल्लिखित जड़ों की मात्रा अनुमानित है। इसमें उपलब्धतानुसार घटोत्तरी/बढ़ोत्ती हो सकती है। जड़ों की नपत स्टैक आयतन के आधार पर की जायेगी। जड़ों की आपूर्ति वास्तविक उपलब्ध मात्रा के आधार पर ही की जायेगी।

7. निर्धारित समय पर जब ई–नीलाम समाप्त हो जायेगा तो उस समय वेबसाइट पर प्रदर्शित लाट की उच्चतम दर देने वाले क्रेता को नीलाम समाप्ति से 48 घण्टे के अन्दर उच्चतम दर के अनुसार आंकलित विक्रय मूल्य की 20 प्रतिशत धनराशि अग्रिम जमानत के रूप में जमा करना होगा। यदि उक्त 48 घण्टे की अवधि में कोई अवकाश पड़ता है तो अग्रिम जमानत की जमा अवधि अवकाश के बराबर स्वतः आगे बढ़ जायेगी। उक्त अवधि में यदि उच्चतम दर दाता द्वारा अग्रिम जमानत की धनराशि नहीं जमा की जाती है तो उसकी दर अस्वीकार कर दी जायेगी, उसका पंजीकरण शुल्क निगम द्वारा जब्त कर लिया जायेगा तथा क्रेता को उ0प्र0 वन निगम के नीलामों में भाग लेने से ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है। अग्रिम जमानत की धनराशि ऑन लाइन, चालान या नकद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के बैंक ड्राफ्ट, जो प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 वन निगम के पक्ष में हो, द्वारा जमा किया जायेगा जिसे लाट के विक्रय की स्वीकृत/अनुमोदन के क्रम में यथा स्थिति जब्त अथवा लाट के लिये देय जमानत धनराशि में सम्मिलित किया जायेगा। अग्रिम जमानत हेतु जमा किये गये बैंक ड्राफ्ट पर कलेक्शन चार्ज क्रेता से नहीं माँगा जायेगा। यह व्यय वन निगम द्वारा वहन किया जायेगा।

8. अग्रिम बिक्री ई–नीलाम में जड़ों के विक्रय का अनुमोदन प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 वन निगम की स्वीकृत के उपरान्त ही पूर्ण समझा जायेगा।

9. सफल क्रेता को अनुमोदन सूचना पंजीकृत डाक से भेजने की तिथि (प्रेषण की तिथि को छोडकर) से 10 दिन के अन्दर अथवा हाथ द्वारा प्राप्त कराये जाने पर 7 दिन के अन्दर लाट का पूरा विक्रय मूल्य एवं देय समस्त कर जमा करना होगा। निर्धारित अवधि तक विक्रय मूल्य तथा देय कर जमा न करने पर लाट की बिक्री निरस्त हो जायेगी एवं जमा जमानत की धनराशि जब्त हो जायेगी। निर्धारित अवधि तक विक्रय मूल्य जमा करने पर विक्रय मूल्य का 1 प्रतिशत छूट अनुमन्य होगी। विक्रय मूल्य जमा के समय ही अनुबंध भी क्रेता को करना है। इसका व्यय क्रेता स्वयं वहन करेगा।

क्रमशः.....2

10. जड़ों की खुदान/लदान में श्रमिकों की पूर्ण सुरक्षा की जिम्मेदारी क्रेता की होगी।
11. जड़ खुदान एवं जड़ों की सफाई पर होने वाले समस्त व्यय क्रेता को स्वयं वहन करना होगा।
12. क्रेता को पातन लाट से ही जड़ों की निकासी की जायेगी। जड़ों की लदाई एवं मिटटी झडाई पर होने वाले समस्त व्यय को क्रेता स्वयं वहन करेगा।
13. क्रेता को जड़ों की निकासी जड़ों के स्टैक आयतन के आधार पर की जायेगी।
14. जड़ों के मौके से निकासी सूर्योदय से सूर्यास्त तक डिपो स्टाफ द्वारा ही की जायेगी।
15. बिक्री पर नियमानुसार क्रेता से केन्द्र/प्रदेश सरकार द्वारा तत्समय प्रचलित आयकर, जी0एस0टी0, मण्डी शुल्क व अभिवहन शुल्क तथा उ0प्र0 शासन द्वारा अन्य किसी प्रकार के लगाये गये करों की वसूली विक्रय मूल्य के साथ ही की जायेगी। यदि शासन द्वारा करों में परिवर्तन किया जाता है अथवा नये कर लगाये जाते हैं तो वह निर्धारित तिथि से देय होंगें।
16. राष्ट्रीयकृत बैंक के अतिरिक्त आई0सी0आई0सी0आई0, एच0डी0एफ0सी0 तथा आई0डी0बी0आई0 के बैंक ड्राफ्ट भी सभी देय धनराशियों हेतु मान्य होंगें, वशर्ते उपरोक्त बैंक की शाखा विक्रय प्रभाग मुख्यालय पर कार्यरत हो।
17. किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने की दशा में क्रेता द्वारा प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक के किसी निर्णय से असन्तुष्ट होने पर उक्त निर्णय के विरूद्ध अपील सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धक स्तर पर किया जा सकता है। अपील पर निर्णय से असन्तुष्ट होने पर क्रेता आर्वीट्रेशन हेतु जा सकता है। आर्वीट्रेटर महाप्रबन्धक, विपणन, उ0प्र0 वन निगम, लखनऊ होंगे। उनका निर्णय अन्तिम व दोनों पक्षों को मान्य होगा।
18. उक्त शर्तों के अतिरिक्त उ0प्र0 वन निगम की निम्न सामान्य शर्तें एवं वन विभाग के नियम भी लागू होंगे:–

(i) **शून्यकालः–** उ0प्र0 वन निगम के द्वारा बिक्री किये गयी जड़ों की निकासी लेने में उपरिहार्य परिस्थिति में हुए किसी प्रकार के व्यवधान जिसमें क्रेता उत्तरदायी न हो की अवधि को शून्य काल घोषित करने का पूर्ण अधिकार प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 वन निगम को होगा।

(ii) भुगतान के सम्बन्ध में डिपो अधिकारी तथा लेखाकार या दोनों के द्वारा हस्ताक्षरित तथा मुहर लगी रसीद ही वैद्य मानी जायेगी।

(iii) सम्बन्धित क्रेता/फर्म द्वारा अवैधानिक/अनुचित कार्यवाही करने तथा वन निगम/वन विभाग को क्षति पहुँचाने पर काली सूची में दर्ज करने तथा नीलाम निरस्त करने पर विचार किया जायेगा एवं खुदान के दौरान कोई अवैधानिक/अनियमित कटान आदि नहीं करेगा। यदि ऐसा पाया जायेगा तो जमा समस्त धनराशि जब्त की जायेगी व वन विभाग/वन अधिनियम के अनुसार कानूनी कार्यवाही की जायेगी। जब्त प्रकाष्ठ/धनराशि वन निगम की होगी।

19. इस बिक्री से सम्बन्धित किसी भी विवाद के सम्बन्ध में न्यायिक वाद केवल विक्रय प्रभाग के जनपद न्यायालय में ही दायर किया जा सकता है।
20. उक्त सम्बन्धी किसी भी नियम/शर्त को प्रबन्ध निदेशक उत्तर प्रदेश वन निगम द्वारा आवश्यकतानुसार संशोधित, अतिक्रमित या निष्प्रभावी किया जा सकता है।